संख्या– जी–2–67 /दस–2007–318/2006

प्रेषक,

शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक: 24 जनवरी, 2007

विषय: **सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली–1985 यथासंशोधित के नियम–13 सपठित अनुसूची–2 के अनुसार समूह 'घ' के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातो से विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार का प्रतिनिधायन संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय वरिष्ठतम आहरण एवं वितरण अधिकारी को किया जाना।**

महोदय,

कार्यालय–ज्ञाप संख्या जी–2–1762/दस–521–1960, दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के द्वारा समूह–'घ' के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख–रखाव का कार्य महालेखाकार के स्थान पर कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सौंपा गया। इस कार्यालय ज्ञाप से लागू व्यवस्था के अनुसार समूह–'घ' के कर्मचारी के सेवा–निवृत्त होने या उसकी मृत्यु की दशा में सामान्य भविष्य निधि खातों में अवशेष धनराशि के अंतिम भुगतान का अधिकार तो संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दिया गया परन्तु अस्थायी अग्रिम तथा आंशिक प्रत्याहरण के संबंध में स्वीकृति के अधिकारों में कोई परिवर्तन नही हो पाया, जिसके फलस्वरूप विशेष कारणों से अग्रिमों की स्वीकृति तथा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार संबंधित विभागाध्यक्ष के पास रहे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति हेतु प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजे जाने से इनके निस्तारण में होने वाले अत्यधिक विलम्ब तथा सामान्य भविष्य निधि खातों के रख–रखाव में कमियों रहने के फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण भुगतान स्वीकृत होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विभागाध्यक्ष के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के समूह–'घ' के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों से विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार संबंधित विभाग के जनपद–स्तर पर तैनात वरिष्ठतम् आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रतिनिधानित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– अतः उक्त व्यवस्था के क्रम में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधिकारों

संख्या– जी–2–67 /दस–2007–318 /2006

प्रेषक,

शेखर अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक: 24 जनवरी, 2007

विषय: **सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली–1985 यथासंशोधित के नियम–13 सपठित अनुसूची–2 के अनुसार समूह 'घ' के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातो से विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार का प्रतिनिधायन संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय वरिष्ठतम आहरण एवं वितरण अधिकारी को किया जाना।**

महोदय,

कार्यालय–ज्ञाप संख्या जी–2–1762 / दस–521–1960, दिनांक 23 अक्टूबर, 1961 के द्वारा समूह–'घ' के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों के रख–रखाव का कार्य महालेखाकार के स्थान पर कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को सौंपा गया। इस कार्यालय ज्ञाप से लागू व्यवस्था के अनुसार समूह–'घ' के कर्मचारी के सेवा–निवृत्त होने या उसकी मृत्यु की दशा में सामान्य भविष्य निधि खातों में अवशेष धनराशि के अंतिम भुगतान का अधिकार तो संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दिया गया परन्तु अस्थायी अग्रिम तथा आंशिक प्रत्याहरण के संबंध में स्वीकृति के अधिकारों में कोई परिवर्तन नही हो पाया, जिसके फलस्वरूप विशेष कारणों से अग्रिमों की स्वीकृति तथा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार संबंधित विभागाध्यक्ष के पास रहे।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक प्रत्याहरण की स्वीकृति हेतु प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजे जाने से इनके निस्तारण में होने वाले अत्यधिक विलम्ब तथा सामान्य भविष्य निधि खातों के रख–रखाव में कमियों रहने के फलस्वरूप त्रुटिपूर्ण भुगतान स्वीकृत होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विभागाध्यक्ष के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के समूह–'घ' के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों से विशेष कारणों से अग्रिम तथा आंशिक अंतिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के अधिकार संबंधित विभाग के जनपद–स्तर पर तैनात वरिष्ठतम् आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्रतिनिधानित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– अतः उक्त व्यवस्था के क्रम में संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने अधिकारों

का प्रयोग करते समय कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सामान्य भविष्य निधि के खातों के समुचित रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करवायेंगे तथा इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर इनसे संबंधित लेखों का निरीक्षण भी करेंगें।

4– सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली–1985 यथासंशोधित के नियम–13 सपठित अनुसूची–2 में तद्नुसार संशोधन यथा समय कर लिए जायेगे।

भवदीय,

(शेखर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–जी–2–67(1)/दस–2007–318–2006, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, न्यू हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- कार्यालय महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी–प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।